




क्रमांक एफ () आकाशि/नि.स./2021 / 400

दिनांक:- 10-1-2022

आदेश

राज्य मे वर्तमान में निजी महाविद्यालयों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निजी महाविद्यालयों में संख्यात्मक वृद्धि के स्थान पर शैक्षणिक गुणात्मक वृद्धि करने का विचार रखती है। इन परिस्थितियों में निर्देशानुसार सत्र 2022-23 व 2023-24 के लिए नवीन निजी महाविद्यालयों का आवेदन आमंत्रित किया जाना स्थगित किया जाता है।


यह आदेश माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय स्तर से अनुमोदित है।


आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संयुक्त सचिव (जी.बी) मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
5. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
7. वेबसाईट प्रभारी आयुक्तानलय कॉलेज शिक्षा जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. अल्पना व्यास)
संयुक्त निदेशक (नि.स.)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान